

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनूपषहर रोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202001 * ई-मेल: cfaligarh@gmail.com
पत्रांक १०८८८ / 14-1, दिनांक: अलीगढ़: फरवरी ०७, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद एटा में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० द्वारा एटा-अलीगंज मार्ग (एम०डी०आर०-98) कि०मी० चैनेज 23.978 बॉयी पटरी पर स्थित ग्राम सोंसा के गाटा संख्या-680स तहसील व जिला एटा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु 0.07291 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।


महोदय,

जनपद एटा में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० द्वारा एटा-अलीगंज मार्ग (एम०डी०आर०-98) कि०मी० चैनेज 23.978 बॉयी पटरी पर स्थित ग्राम सोंसा के गाटा संख्या-680स तहसील व जिला एटा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु 0.07291 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 03 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के पत्रांक 1368/14-1, दिनांक 21.01.2017 द्वारा प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक / 14-1, समदिनांकित।

1-प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को पत्रांक 1368/14-1, दिनांक 21.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


2-प्रतिलिपि- मैनेजर (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, सेल्स एरिया, एटा को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई।	जनपद एटा में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० द्वारा एटा-अलीगंज मार्ग (एम०डी०आर०-98) कि०मी० चैनेज 23.978 बाँयी पटरी पर स्थित ग्राम सोंसा के गाटा संख्या-680स तहसील व जिला एटा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु 0.07291 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 03 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव।
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।



(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

दिथि:- 7.2.17

स्थान:-अलीगढ़।